रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2003/पौष 25, 1924
No. 19] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2003/PAUSA 25, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2003

अंतिम जांच परिणाम

विषय : **पोलैंड तथा ब्राजील के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स- यूएचपी ग्रेड (24″ तक के व्यास का जिसमें 24″ व्यास भी शामिल है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच-अंतिम जांच परिणाम**

सं. 60/1/2001-डीजीएडी.— 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुंल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:-

क. **प्रक्रिया**

1. जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया गया है:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के तहत घ्रेलू उद्योग की ओर से मै. एचईजी लि0, नोएडा तथा मै. कार्बन एवरफ्लो लि0, नासिक (जिन्हें इसके

बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) से **एक लिखित** आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें पोलैंड तथा ब्राजील (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स आफ अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) ग्रेड (जिन्हें इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की प्रारंभिक जांच में कतिपय त्रुटियों का पता चला जिन्हें बाद में याचिकाकर्ता द्वारा दूर करवाया गया था । इसलिए इस याचिका को उचित रूप से प्रलेखित माना गया था ।

(iii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच आरंभ करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने नियमों के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले पाटन का आरोप प्राप्त होने के बारे में नई दिल्ली स्थित पोलैंड तथा ब्राजील के दूतावासो को सूचित किया ।

(iv) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 तथा सी शीर्ष 85.45 और आई टी सी/एच एस वर्गीकरण 85451101,85451109,85451901 तथा 85451909 के अंतर्गत वर्गीकृत पोलैंड तथा ब्राजील मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबद्ध में पाटन रोधी जांच शुरू करते हुए 29.1.02 को सार्वजनिक सूचना भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की ।

(v) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम 8.502 को अधिसूचित किए तथा प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति निम्नलिखित हितबद्ध पार्टियों को भेजी जिनसे प्रारंभिक जांच परिणाम पर अपने विचार यदि कोई हो, पत्र की तारीख से 40 दिन के अंदर भेजने का अनुरोध किया था:-

आयातक/उपयोगकर्ता

1. मै. मुकंद लि., थाणे
थाने बेलापुर रोड
दिघे, पी ओ कलवे
जिला- थाणे-400605

2. मै. टाटा आयरन एंड स्टील कं.लि0
जमशेदपुर, जमशेदपुर-831001

3. मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि.
गीतापुरम डोलवी
तालुका पेन

4. मै. एस्सार स्टील लि0, सूरत
(एच आर सी प्लांट)
हाजिर-394270
जिला सूरत (गुजरात)

5. मै. सनफ्लैग आयरन एंड
स्टील कं. लि0, भण्डारा
भण्डारा रोड
भण्डारा-441905

6. मै. लायड्स स्टील इंडस्ट्रीज लि0, वर्धा
लायड्स नगर
भुगांव, वर्धा-442001

7. मै. इंडियन सीमलैस स्टीलस एंड एलायस, पुणे
174, धोले पाटिल रोड
पुणे-411001

8. मै. इस्पात प्रोफाइल लि., पुणे
सनासवाडी, तालुक शिरूर
जिला पुणे-412208

9. मै. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि0, दुर्गापुर
अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर

निर्यातक

पोलैंड

1. **मै. एस जी एल कार्बन, पोलैंड**

वेगीरसका स्ट्रीट 188 पोओ बॉक्स 152
330300 नोवीसैक्ज

2. **ब्राजील**

मै. यू सी ए आर कार्बन एस ए, ब्राजील
रूआ राऊल पॉम्पिया
14402-अंदार
साओ पोलो, एस पी सी ई पी 05015, ब्राजील

(vi) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी कि वे संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक और अन्य हितबद्ध पार्टी प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार पत्र की तारीख से 40 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहें ।

(vii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार 297.02 को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी हितबद्ध पाटियों से अपने विचार

लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।पार्टियों को विरोधी पार्टयों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों की प्रति प्राप्त करने और उसका खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था ।

(viii) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों हेतु आवश्यक तथ्यों/आधार के बारे में ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को 8.11.02 को जानकारी दी गई थी तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इन जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।

(ix) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे तथा नियम 6(7) अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

(x) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

(xi) प्रारंभिक जांच परिणाम घोषित करने से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों जिन्हें अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकाशित किया गया है को संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है । परन्तु यदि हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में कोई तर्क किया गया है तो इन जांच परिणामों में उन पर समुचित कार्रवाई की गई है ।

(xii) सामान्यताः स्वीकृत लेख सिद्धांतों (जी ए पी पी) और याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचनानुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और माल को बनाने तथा बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए घरेलू उद्योग की लागत जांच भी की गई थी ।

(xiii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया था ।

(xiv) ****यह चिह्न इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है ।

(xv) यह जांच 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 अर्थात जांच अवधि तक के लिए की गई थी ।

ख) **याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार**

क. **याचिकाकर्ता के विचार**

1. **याचिकाकर्ता आधार विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु**

(i) याचिकाकर्ताओं ने विद्युत चाप भट्टियों में प्रयोग होने वाले अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड (यूएचपी) ग्रेड के ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन किया था ।

(ii) चाप भट्टियों में ग्रेफाइड इलैक्ट्रोडस का प्रयोग विद्युत धारा संचालक के रूप में किया जाता है तथा इसकी जरूरत अति उच्च विद्युत दर ले जाने के लिए होती है । तदनुसार इस प्रकार की उच्च धारा और फीड ले जाने के लिए सक्षम गुणधर्मों की आवश्यकता होती है । विद्युत चाप

भट्टियों का प्रयोग भट्टियों में चार्जफेड में विद्युत धारा प्रवाहित कर इस्पात को पिघलाने में किया जाता है । इस्पात बनाने की इस प्रक्रिया को द्वितीयक इस्पात निर्माण कहा जाता है ।

(iii) इलैक्ट्रोड्स के आकारों को इलैक्ट्रोडस के व्यास के रूप में वर्णित किया जाता है । इलैक्ट्रोडस बेलनाकार आकार में होते हैं जिनमें आकार का सबसे सुसंगत माप व्यास का होता है । इस प्रकार शामिल इलैक्ट्रोडस का आकार 16" व्यास से लेकर 30" व्यास तक (16"व्यास 18"व्यास 20" व्यास 22" व्यास 28" व्यास 30" व्यास)होता है । इनमें पूरी रेंज शामिल है क्योंकि 17,19,21 इत्यादि माप की कोई मानक अपेक्षा नहीं है । मीट्रिक प्रणाली में आकारों को 400 मि.मी., 450 मि.मी.500 मि.मी, 550 मि.मी. 600 मि.मी., 700 मि.मी. तथा 750 मि.मी. (400 मि.मी. तक तथा 750 मि.मी. सहित) के रूप में नोट किया जाता है ।

(iv) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने 28"/30" व्यास का विनिर्माण और उसकी आपूर्ति नहीं की है और तदनुसार इस आवेदन के उद्देश्य के लिए आयातित इलैक्ट्रोडस के लिए संगत आकारों को घटाकर 16" तक 24" व्यास सहित (400 मि.मी. और 600 मि.मी. व्यास सहित) कर दिया गया है । यू एच पी ग्रेड का उल्लेख यू एच पी रेटिंग की चाप भट्टियों में प्रयुक्त ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस के लिए किया जाता है जिसे प्रतीकात्मक रूप से 500 के वी ए से अधिक प्रति एम टी धारिता के रूप में माना जाता है । इसका आशय यह है कि चाप भट्टियों में संभारित भट्टी की प्रति एम टी धारिता के अनुसार विद्युत की दर 500 के वी ए के बराबर अथवा इससे अधिक होगी ।

2. आधार तथा घरेलू उद्योग

(i) याचिकाकर्ताओं का देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में 67.20% का हिस्सा है और इसलिए उनके पास घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है । चूंकि उत्पादन में उनका बड़ा अनुपात है अतः वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) अनुसार 'घरेलू उद्योग' के रूप में पात्र है ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और घरेलू उद्योग के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

3. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन

पाटन

(i) इस बात को प्रदर्शित करने के लिए व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि संबद्ध देशों से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस का पाटन मूल्यों पर आयात किया जा रहा है । ब्राजील के मामले में हमने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में अर्जेंटीना, लिबिया, वेनेजयुला आदि के लिए निर्यात मूल्य दिए थे यह सुझाव दिया गया था कि भले ही हम उपर्युक्त तीनों देशों के लिए नामतः अर्जेंटीना के लिए न्यूनतम कीमतों को उपर्युक्त तीसरे देश के रूप में लेते है तो भी

निर्धारित सामान्य मूल्य **** अमेरिकी डालर निकलता है । **** अमेरिकी डालर की कारखानागत सामान्य मूल्य प्राप्त करने के लिए इस राशि में *** डालर समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, बीमा एवं पत्तन हैडलिंग प्रभारों के लिए *** डालर की राशि का समायोजन किया गया था ।

(ii) पोलैंड के मामले में, वर्ष 2000-2001 के दौरान जापान में संबंधित उत्पाद हेतु 'कार्बन डाटा बैंक' नामक व्यापारिक प्रकाशन की उत्पादन लागत का प्रयोग किया गया है । पोलैंड में उत्पादन लागत क अनुमान जापान के लिए कार्बन डाटा बैंक से प्राप्त खपत संबंधी मानकों के आधार पर किया गया था । विशेष निविष्टियों जैसे नीडल कोक और पिच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखा गया है जबकि इलैक्ट्रिक पावर की लागत यूरोप की प्रचलित दरों पर ली गई है । नियत लागतें ऊपरी खर्च प्रशासन एवं बिक्री व्यय इत्यादि समग्र रूप से एस जी एल कार्बन समूह (वर्ष 2000 के लिए) के समग्र तुलनपत्र स ली गई है जो संबंधित शीर्षों के तहत व्यय पर आधारित है ।

(iii) मूल्य ह्रास सहित उत्पादन की लागत और ***% का लाभ *** अमेरिकी डालर बनता है । याचिका के गोपनीय अंश में तुलना करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के खपत मानक भी दिए गए है ।

(iv) निर्यात मूल्य उन सी आई एफ मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए थे जो समायोजित निर्यात मूल्य निर्धारित करते समय समुद्री भाड़ा,बीमा,अंतर्देशीय भाड़ा तथा पत्तन प्रभारों के लिए समायोजित किए गए थे ।

(v) चूंकि किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया अतः व्यापक प्रमाण के आधार पर हमारे द्वारा प्रस्तुत आकलन डम्पिंग मार्जिन निर्धारित करने का आधार होंगे ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

4. **क्षति, कारणात्मक संबंध तथा अन्य मुद्दे**

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है तथा इस प्रकार यह अपेक्षित है कि प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र क्षति तथा इसके साथ साथ कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करे । घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के एक भाग के रूप में यह अनुरोध किया है कि क्षति निर्धारण संचयी आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि ब्राजील और पोलैंड का पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2% की न्यूनतम सीमा से अधिक है । तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा न्यूनतम स्तर से अधिक है ।

(ii) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स पर पाटनरोधी जांच के मामले को इसकी पृष्ठभूमि, बाजार परिस्थिति तथा पूर्ति एवं प्रापण प्रबंध की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर समझना होगा ।

(iii) याचिकाकर्ता यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस की क्रय पद्धति की अनेक विशेषताएं है । ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस का तुलनात्मक दृष्टि से लंबा विनिर्माण चक्र होता है, जो कच्चे माल से लेकर निर्माण होने तक कम से कम 10 से 12 सप्ताह का समय लेता है । ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस के उपयोगकर्ता हेतु सामान्य प्रणाली उनकी मासिक खपत मात्राओं के आधार पर आस्थगित डिलीवरी के साथ 6 महीने से 1 वर्ष की आवश्यकतानुसार क्रय आर्डर देने की होती है । इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को यह भी आशा रहती है कि मूल्य 6-12 महीने की अवधि के लिए या उक्त अवधि के दौरान आर्डर की गई मात्रा के लिए जो भी पहले हो, मूल्य स्थिर रहेंगे । जांच अवधि तथा पिछले वर्ष के लिए भारत में हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपयोगकर्ताओं

की नमूना पूछ ताछ प्राधिकारी को आवेदन पत्र के गोपनीय अनुबंध के रूप में पहले ही दी जा चुकी है जो इस मुद्दे पर प्रकाशा डालेगी । इसी प्रकार गोपनीय अनुबंधों के रूप में उपर्युक्त पूछ ताछ पर कुछ प्रस्ताव संलग्न किए है जिसमें मूल्यों की वैद्यता तथा उपयोगकर्ता की स्वीकृति तथा उनके क्रय आर्डर दर्शाए गए हैं ग्राहकों द्वारा अपेक्षित प्रतिस्पर्धी दरे अन्य देशों से निर्यात तथा संविदा के समय उनके पहुंच मूल्य सहित उपलब्ध सभी स्रोतों द्वारा किए गए प्रस्तावों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं ।

(iv) यह भी कहा गया कि ऐसे मामले में मूल्य का प्रभाव निर्धारित करने के लिए तुलना पहुंच मूल्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए जब बिक्री की वास्तविक शर्तों को अंतिम रूप दिया जाता है न कि डिलीवरी की तारीख को बीजक मूल्य पर । उपर्युक्त स्थिति इस विषय पर विधि शास्त्र और पाटनरोधी डब्ल्यू टी ओ करार के प्रावधानों के कारण भी है ।

पाद टिप्पणी 8- सामान्यतः बिक्री की तारीख संविदा क्रय आर्डर पुष्टि करण या बीजक की तारीख होगी इनमें से जो भी बिक्री की वास्तविक शर्तों की पुष्टि करता हो ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने अपने लिए क्षति रहित मूल्यों की विस्तृत प्रक्रिया इच्छा व्यक्त की थी ।

ख. **आयातकों के विचार**

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में आयातकों ने कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किए है ।

ग. **निर्यातक के विचार**

क) **मै. यू सी ए आर, ब्राजील**

1. **याचिकाकर्ता का आधार विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु**

(i) प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार (मद 5.1) जांच के उद्देश्य हेतु विचाराधीन उत्पाद 24" के व्यास का यू एच पी ग्रेड का ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस जिसमें 24" व्यास भी शामिल है प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया है कि चाप भट्टियों में ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस का प्रयोग विद्युत धारा संचालक के रूप में किया जाता है तथा इसमें उच्च धारा और विद्युत फीड ले जाने के लिए सक्षम गुणधर्मो की आवश्यकता होती है"।

(ii) पूर्वोक्त के बावजूद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चाप भट्टियां दो प्रकार की होती है इस प्रकार की एक चाप भट्टी गोलक भट्टी कहलाती है जिसका प्रयोग लोहे को गलाने के लिए किया जाता है इस चाप भट्टी को ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस से प्रवाहित होने वाला उच्च धारा करंट चाहिए अतः ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस उच्च कोटि के होंगे। दूसरी ओर लैडल चाप भट्टी है जिसमें गले हुए इस्पात को विशिष्ट इस्पात ग्रेड बनाने के लिए निर्माण प्रक्रिया की दूसरी प्रक्रिया के रूप में शोधन किया जाता है । लैडल चाप भट्टी के भीतर ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के माध्यम से प्रवाहित होने वाला इलैक्ट्रिक करंट निम्न स्तर का होता है जिसके लिए उन उत्पादों के लिए निम्न ग्रेड प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है तथा कम मांग है । ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के बीच इस प्रकार का अंतर प्रयोग की गई चाप भट्टी और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के आकार पर निर्भर करता है ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में कोई निवेदन नहीं किया गया है ।

2. **सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन**

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का मूल्य उसकी कोटि तथा प्रयोग के अनुसार परिवर्तित होता रहता है । इस प्रकार जहां पर भारत में यूसीएआर ब्राजील से पाटित मूल्यों पर निर्यात किया गया था वहां निर्धारण के लिए मूल्य विश्लेषण में निर्दिष्ट प्राधिकारी को वैसे ही उत्पादनों के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए अर्थात मेल्टिंग चाप भट्टियों के लिए भारत में निर्यातित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स के मूल्यों की तुलना अर्जेंटीना में मेल्टिंग चाप भट्टियों के लिए निर्यातित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स के मूल्यों से की जानी चाहिए जबकि लॅडल चाप भट्टियों के लिए भारत में निर्यातित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स की तुलना अर्जेंटीना में लॅडल चाप भट्टियों के लिए निर्यातित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स के मूल्यों से की जानी चाहिए ।

(ii) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उत्पाद की दी गई परिभाषा ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड को उसके पाटित मूल्यों पर निर्यात की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है । प्राधिकारी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मूल्यों की तुलना में पर्याप्त अंतर दिखाएं हैं क्योंकि ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के एक प्रकार का मूल्य (मेल्टिंग चाप भट्टी) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के अन्य प्रकार (लॅडल चाप भट्टी) से अधिक हैं । अतः प्रारंभिक जांच परिणामों के खण्ड (ञ) के निष्कर्षों के स्थान पर उचित अनुमानों के आधार पर नया विश्लेषण किया जाना चाहिए ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में कोई निवेदन नहीं किया गया है :-

3 **क्षति, कारणात्मक संबंध तथ अन्य मुद्दे**

(i) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि यदि जांच अवधि से तत्काल पहले की अवधि की तुलना जांचाधीन अवधि से करें तो घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 57.01% से

56.88% तक कमी नहीं हुई है । इस प्रकार रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी 0.15% से कम रही है ।

(ख) **एसजीएल कार्बन ग्रुप, पोलैण्ड**

1. **सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन**

(i) इस प्रकार के प्रारंभिक जाच परिणामों के लिए उत्तर देना संभव नहीं हैं क्योंकि सभी आवश्यक आंकड़े हटा दिए गए हैं । पोलैंड से यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व तथा एशिया को हमारे निर्यात के मूल्य लगभग वहीं है जो हमने भारतीय ग्राहकों को बीजक में पहले दिए थे । इसलिए किसी भी प्रकार के पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव भारत में ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स के सभी प्रयोगकर्त्ताओं पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें इलैक्ट्रोड्स के लिए भारत से बाहर अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक व्यय करना पड़ेगा ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में कोई निवेदन नहीं किया गया हैं ।

(ग) **ब्राजील संघीय गणराज्य का दूतावास**

1. **सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन**

(i) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 मई, 2002 को जारी प्रारंभिक क्षति संबंधी अधिसूचना के संदर्भ में ब्राजील सरकार जांच में हितबद्ध पार्टी के रूप में यह कहना चाहेगी कि ऊपर उल्लिखित अधिसूचना की अगोपनीय प्रति से पार्टी अपने विरुद्ध आरंभ किए गए मामले को पूरी तरह समझ नहीं सकी जिससे उन्हें अपना बचाव करने में बाधा उत्पन्न हुई ।

(ii) डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद-6.5 के अनुसार यह मूलभूत तथ्य है कि यदि सूचना का गोपनीय स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना के भाव को समझा जा सके ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में कोई निवेदन नहीं किया गया है ।

2. क्षति, कारणात्मक संबंध तथा अन्य मुद्दे

ब्राजील की ओर यह समझा जा रहा है कि प्रारंभिक क्षति संबंधी अधिसूचना या उपर्युक्त विचार के साथ इस प्रकार का सार संलग्न नहीं किया गया था ।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में कोई निवेदन नहीं किया गया है ।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

याचिकाकर्त्ता द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की गई है तथा विचार किया गया है जिस सीमा तक ये नियमानुसार संगत हैं तथा मामले पर प्रभाव डालते हैं और उन पर इन जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर विचार किया गया है ।

1. विचाराधीन उत्पाद

प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है । तथापि तथ्य यह है कि मै0 यूसीएआर, ब्राजील ने यह उल्लेख किया था कि मेल्टिंग चाप भट्टियों और लॅडल चाप भट्टियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स की कोटि में कीमत अथवा प्रतिस्थापनीयता के संबद्ध में कोई अंतर नहीं है । प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद पर कोई विशिष्ट अनुरोध न किए जाने के कारण विचाराधीन उत्पाद के बारे में दिनांक 8 मई, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 5.(5.1) में निर्दिष्ट रूप में उसकी पुष्टि करते हैं । प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित अनुसार दोहराते हैं :-

विचाराधीन उत्पाद 24 "तक के व्यास के जिसमें 24 " व्यास भी शामिल है के यूएचपी ग्रेड के ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स " हैं । चाप भट्टियों में इनका प्रयोग विद्युत धारा संचालक के रूप में किया जाता है और इसके लिए अत्यधिक विद्युत फीड की जरूरत होती है । तदनुसार इस प्रकार की उच्च धारा और विद्युत फीड ले जाने के लिए सक्षम गुणधर्मों की आवश्यकता होती है ।

"विद्युत चाप भट्टियों का प्रयोग भट्टियों में विद्युत तरंग को प्रवाहित करके इस्पात को गलाने के लिए किया जाता है । "इस्पात बनाने की इस विधि को द्वितीयक इस्पात निर्माण विधि भी कहा जाता है ।"

संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों को अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) नार्मल पावर ग्रेड (एनपीजी) के विशिष्ट गुणधर्मों के रूप में परिभाषित किया गया है जो नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं ।

विनिर्देशन	इकाई	एनपीजी/हाईपावर	यूएचपी
बल्क डेन्सिटी	ग्रा/सीसी	1.53-10.0	1.65-1.76
इलैक्ट्रिक रेसिस्टिविटी*	माइक्रो ओएचएम मीटर	7.0-10.0	4.5-6.0
फ्लेकसुरल स्ट्रेंथ	मी.टन/से.मी.2	65-140	90-160
यंग्स मोडयूल्स	मी.टन/एमएम2	700-1200	800-1400
सीटीई	एक्स10-6/0सी 06	0.8-2.2	0.4-1.20

* उपरोक्त सारणी के अनुसार यूएचपी के साथ एचपीजी (हाई पावर ग्रेड) समेत एनपीजी (नामल पावर ग्रेड) के साथ तुलना करते समय विद्युत प्रतिरोधकता संबंधी विशेष गुणधर्मों में अन्तर है ।

उत्पाद को सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 85.45 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा आठ अंकीय कोड जिसके अंतर्गत उत्पाद की निकासी की जाती है वे हैं -
85451101, 85451109, 854451901 तथा 85451909

2. समान वस्तु

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु की विशेषताएं आयातित संबद्ध वस्तुओं से अत्यधिक मिलती जुलती होने और वाणिज्य एवं तकनीकी दोनों रूपों में

प्रतिस्थानीय होने के विषय में कोई तर्क नहीं दिया गया है । यद्यपि मैसर्स यूसीएआर, ब्राजील ने बताया है कि गुणवत्ता के पहलू को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निर्यातित मदें लैंडल फर्नेस में प्रयुक्त होती है तथापि, उन्होंने उनके द्वारा निर्यातित वस्तुओं को घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु के साथ अदल-बदल के बारे में कोई निवेदन नहीं किया है । इसलिए प्राधिकारी समान वस्तु के बारे में पैरा च(6.1) के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं तथा मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देशें से निर्यातित उत्पाद के समान वस्तु है ।

3. घरेलू उद्योग

प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्त्ता तथा घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में जैसाकि घरेलू उद्योग के बारे में पैरा छ(77) के प्रारंभिक जांच परिणामों में परिभाषित किया गया है, कोई निवेदन नहीं किया गया है तथा यह दोहराया है कि मैसर्स एचईजी लि0, नोएडा तथा मैसर्स कार्बन एवरफ्लो, नासिक घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करती हैं क्योंकि उनका उतपादक जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 67% से अधिक बनता है । अतः नियमावली 5(3) के तहत मैसर्स एचईजी लि0 तथा मै0 कार्बन एवरफ्लों के पास, याचिका दायर करने का आधार हैं तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करती हैं ।

4. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत

धारा 9क (1) (ग) के अंतर्गय किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ हैं :-

(i) सामान्य व्यापार के दौरान सामान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या

(ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो :-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

"बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।"

सामान्य मूल्य तथा कारखाना द्वार पर कीमत का निर्धारण नीचे दर्शाया गया है ।

(क) **यूसीएआर, ब्राजील**

1. **सामान्य मूल्य**

प्राधिकारी पैरा 8.5 से 8.10 तक सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में अपनी 08 मई, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों का स्मरण करते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि 08 नवम्बर, 2002 के प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने मैसर्स यूसीएआर ब्राजील द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार किया था तथा यह नोट किया था कि यद्यपि मैसर्स यूसीएआर, ब्राजील द्वारा घरेलू कीमतें

तो दी गई हैं परंतु उत्पादन लागत का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित निर्धारित प्रशनावली में भी नहीं है, तथापि निर्यातक द्वारा सूचित घरेलू बिक्री कीमतों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जा सकता । प्राधिकारी ने नोट किया है कि इन कीमतों से भी पाटन निदर्शित होगा । सामान्य मूल्यो के संदर्भ में प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करते है ।

प्राधिकारी इस संबंध में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8.8 तथा 8.9 का स्मरण करते है तथा इसमें उल्लिखित सामान्य मूल्य निर्धारण की प्रणाली की पुष्टि करते हैं । मैसर्स यूसीएआर, ब्राजील तथा बाजील के अन्य सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण की गणना निम्न प्रकार से की गई है ।

याचिकाकर्त्ताओं ने कार्बन डाटा बैंक की सूचना पर आधारित ब्राजील से अजेन्टीना, कोलंबिया तथा वेनेजुएला इत्यादि को संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत मुहैया की है । यह देखा गया है कि ब्राजील से कोलंबिया तक की औसत सीआईएफ निर्यात कीमत *** डालर/मी0टन है जबकि वेनेजुएला तथा अर्जेन्टीना के लिए सीआईएफ कीमत क्रमशः *** डालर/मी0 टन तथा *** डालर/मी0 टन है । उक्त तीनों देशों के लिए कीमतों के न्यूनतम पर विचार कर अर्थात अर्जेन्टीना को समुचित अन्य देश के रूप में मानते हुए सामान्य मूल्य *** डालर/मी0 टन निकलता है । समुद्री भाड़े अंतर्देशीय भाड़े, बीमा तथा पत्तन हौडलिंग संबंधी प्रभारों के लिए कीमतों में ***, ***, *** तथा *** डालर/मी0 टन मात्रा का समायोजन किया गया है ताकि समुचित अन्य देश की कारखानागत कीमत अर्थात् सामान्य मूल्य निकाला जा सकें ।

अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य *** डालर/मी0 टन के रूप में लिया है ।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है इन परिस्थितियों में पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर किया जाता है । अतः याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार किसी समुचित तीसरे देश को संबद्ध

वस्तुओं के निर्यात के आधार पर उत्पाद का सामान्य मूल्य निकालने के लिए अर्जेंटीना को आधार माना गया है जो *** डालर/मी0 टन बनता है ।

2. **निर्यात कीमत**

प्राधिकारी इस संदर्भ में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8.10 का स्मरण करते है तथा प्रारंभिक जांच परिणाओं के पैरा 8.10 में उल्लिखित प्रणाली की पुष्टि करते हैं । मैसर्स यूसीएआर, ब्राजील तथा ब्राजील के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है । जांच की अवधि के दौरान ब्राजील के सभी निर्यातकों द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के निर्यातों की भारित औसत सीआईऐफ कीमत *** डालर/मी0टन बनती है । अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा तथा पत्तन खर्चों के लिए क्रमशः ***, ***, *** तथा *** डालर/मी0 टन की मात्रा के समायोजन पर विचार किया गया है ।

इसलिए, प्राधिकारी ने भारित औसत कारखानागत कीमत *** डालर/मी0 टन ली है ।

ख. **एसजीएल कार्बन पौलेंड**

1. **सामान्य मूल्य**

प्राधिकारी, 8 मई, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8.11 से 8.17 तक में उल्लिखित सामान्य मूल्य प्रणाली का स्मरण करते हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 8 नवम्बर, 2002 के प्रकटन विवरण में यह माना गया था कि मैसर्स एसजीएल कार्बन ने भारत से भिन्न देशों को अपनी निर्यात कीमतें उपलब्ध करवाई हैं परंतु जैसाकि अपेक्षित था निर्धारित प्रश्नावली में कोई सूचना दायर नहीं की है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के जवाब में भी मैसर्स एसजीएल कार्बन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई है । परंतु इस को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के दौरान यथा मूल्यांकित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की प्रणाली की पुष्टि करते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ताओं ने पौलेंड में संबंधित उत्पाद के लिए उत्पाद की लागत का अनुमान वर्ष 2000-2001 के दौरान जापान में उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर किया है जिसे 'कार्बन डाटा बैंक' नामक व्यापार प्रकाशन से

लिया गया है । प्रमुख निविष्टियों जैसे नीडल कोक और पिच की कीमतें यूरोप से भारत को किए गए आयात की कीमतों से ली गई हैं जबकि इलैक्ट्रिक पावर की लागत यूरोप मे प्रचलित दरों पर ली गई है । नियत लागतें, ऊपरी खर्च, प्रशासन एवं बिक्री व्यय इत्यादि समग्र रूप से एसजीएल कार्बन समूह के वर्ष 2000 के लिए समग्र तुलन-पत्र से ली गई हैं जो संबंधित शीर्षों के तहत व्यय पर आधारित हैं । मूल्य ह्रास सहित उत्पादन की लागत और *** % का लाभ *** डालर/मी0 टन बनता है । इस प्रकार सामान्य मूल्य *** डालर/मी0 टन आंका गया है । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन परिस्थितियों में नियमानुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है । अतः संबद्ध वस्तु की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना को उत्पाद का सामान्य मूल्य निकालने का आधार माना गया है जो पोलैंड के मामले में *** डालर/मी0टन बनता है ।

अतः प्रारंभिक जांच परिणामों के दौरान निकाले गए *** डालर/मी0 टन के सामान्य मूल्य की पुष्टि की जाती है ।

2. निर्यात कीमत

जांच अवधि के दौरान पोलैंड के सभी निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तु के निर्यातों की भारित औसत सीआईएफ कीमत *** डालर/मी0 टन बनती है ***, ****, *** तथा *** डालर/मी0टन तक क्रमशः अन्तर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा तथा पत्तन व्ययों के कारण समायोजनों पर विचार किया गया है ।

अतः प्राधिकारी ने कारखाना निर्यात कीमत का *** डालर/मी0 टन के रूप में संदर्भ लिया है ।

5. पाटन - सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था हैं :-

" पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी । उक्त अंतर में शामिल है, बिक्री की शर्तों, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राओं, वास्तविक विशेषताओं में अंतर तथा अन्य ऐसे अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना [illegible] औसत कारखाना द्वारा स्तर निर्यात कीमत से की है ।

सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्न प्रकार बनता है :-

निर्यातक	सामान्य मूल्य डालर/मी0 टन	निर्यात कीमत डालर/मी0टन	निर्यात कीमत के % के रुप में पाटन मार्जिन
ब्राजील			
सभी निर्यातक/उत्पादक मैसर्स यूसीएआर सहित	****	****	49.58
पोलैंड			
सभी निर्यातक/उत्पादक मैसर्स एसजीएल सहित	****	****	36.22

उपर्युक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक हैं ।

6. **क्षति**

क्षति के निर्धारण से संबंधित संगत नियमों से निम्नलिखित सम्मिलित है-

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत क्षति के बारे में जब किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में " .....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा । " कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना

आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रूकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।

नियम II के अनुबंध-II के नियम (3) में आगे यह प्रावधान है कि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के मामले में जब पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है तो प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों का संचयी रूप से आकलन करेगा । तथापि, इस प्रकार का आकलन तभी किया जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि प्रत्येक देश से अयातों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत है अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3% से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7% से अधिक बनता है; और आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन, आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि से उचित है ।

घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है । भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध-II(IV) के अनुसरण में ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हों जैसेः- बिक्री मात्रा, बाजार हिस्से में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता और क्षमता उपयोग, बिक्री कीमत, लाभप्रदत्ता, निवेश पर प्राप्ति (लगाई गई पूंजी) इत्यादि ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक है । सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित सम्बद्ध वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर उचित है ।

प्राधिकारी उन घरेलू उत्पादकों के मामले में, जिन्होंने याचिका का समर्थन किया था, विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर अपनी टिप्पणियों का स्मरण करते हैं । इन उत्पादकों से संबंधित आर्थिक मापदंड निम्न प्रकार से हैं- : -

	1998-99	1999-2000	2000-2001(जांच अवधि)
उत्पादन(मी0टन)	26963	29536	35063
घरेलू बिक्री (मी0टन)	2786	3615	3553
क्षमता (मी0टन)	34000	34000	34000
क्षमता उपयोग(%)	79.3	86.87	103.13
संबद्ध देशों से कुल आयात(मी0टन)	1065	1173	1383.51
कुल आयात(मी0टन)	3335	2500.08	2434.03
मांग(मी0टन)	6308	6341	6249
कुल आयात के % के रुप में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा(%)	31.9	46.9	56.9
मांग में संबद्ध देशें का बाजार हिस्सा(%)	16.9	18.5	22.1
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	44.17	57.01	56.86
निवल बिक्री वसूली(रु0/मी0टन)	***	***	***
लाभप्रदता(%)	***	***	***

उपर्युक्त मापदण्डों को नोट करते हुए प्राधिकारी निम्नानुसार अभिमत व्यक्त करते हैं ।

बिक्री मात्रा एवं मूल्य

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, आस्ट्रीया, बेल्जियम और अमरीका से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात् अपनी बिक्री मात्रा में सुधार करने में सक्षम रहा है । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि यद्यपि बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू उद्योग वर्षों से लागतों में कमी करने के सभी प्रयासों के बावजूद अपनी लाभप्रदत्ता में उचित स्तर तक वृद्धि नहीं कर सका है । यह बात भी नोट की जाती है कि निवेश पर आमदनी कम और अलाभकारी है।

संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में परिवर्तन

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि कुल आयातों के प्रतिशत के रुप में संबद्ध देशों के आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 1998-99 में बढ़कर 32% से , वर्ष 19992000 में लगभग 47 % और जांचावधि में 57 % हो गया था । इस प्रकार औसत आयातों के एक अनुपात के रुप में बाजार हिस्सा पाटित कीमतों और संबद्ध देशों के निर्यातकों की अत्यधिक कीमत संबंधी नीतियों के

कारण इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान काफी रहा । बढ़ती हुई समग्र मात्रा के साथ-साथ कुल आयातों के संबंध में पाटित आयातों में जो अधिक बाजार हिस्सा है उससे यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि देश में कुल मांग के संबंध में संबद्ध देशों के आयातों के बाजार हिस्सा में 1998-1999 में 16.88 % से काफी बढ़कर 1999-2000 में 18.50 % हो गया था और जांच अवधि के दौरान यह 22.14 % हो गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार हिस्से में कमी आने के कारण प्रत्यक्ष रुप से नुकसान हुआ है ।

घरेलू उद्योग का बाजार-हिस्सा

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने अपना बाजार हिस्सा वर्ष 1999-2000 में 18.50% से बढ़ाकर वर्श 2000-2001 में 22.14 % कर दिया है तथापि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा इसी अवधि में 57.01 % से घटकर 56.86 % हो गया है।

उत्पादन और क्षमता उपयोग

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स की क्षमता को एनपीजी और यूएचपी ग्रेडों के बीच नहीं बांटा जा सकता है । अतः केवल यूएचपीग्रेड के उत्पादन पर आधारित क्षमता उपोग के विश्लेषण से कोई अर्थपूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त होगा । अतः किसी समुचित विश्लेषण के लिए याचिकाकर्ताओं को एनपीजी और यूएचपीग्रेड दोनों के उत्पादन के आंकड़ों को समेकित किया है ताकि क्षमता उपयोग के आंकड़े प्राप्त हो सकें । यह बात नोट की जाती है कि घरेलू उद्योग अपने इलैक्ट्रोड्स के निर्यात के लिए नए औद्योगिक बाजार विकसित कर अपनी क्षमता उपयोग में पर्याप्त सुधार करने में सफल रहा है । प्राधिकारी उनके अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि क्षमता उपयोग के स्तरों में और अन्य लागत में कमी करने के प्रयासों में निरन्तर सुधार होने के बावजूद वे संबद्ध देशों से निरंतर पाटन होने के कारण अपनी लाभप्रदता में सुधार नहीं कर पाए हैं ।

लाभप्रदता

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि वर्ष 1997 और 2000 के बीच भारतीय उद्योग में निर्यातों का विविधीकरण करने हेतु नए भौगोलिक बाजारों में प्रवेश करनेके अलावा, विनिर्माण की

लागत में कमी करने और उत्पादकता, क्षमता उपयोग इत्यादि में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ।

निवेश पर आय

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय *** % कम थी जो पिछले वर्ष के *** % के आंकड़ों से कम है ।

कीमत में गिरावट

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के बाजार की उपभोक्ताओं को दी गई कीमत के निर्धारण के संबंध में अपनी अनुपम विशेषता है । घरेलू उत्पादकों के बीच और घरेलू उत्पादक और निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तें हैं और कीमतों का पूर्ण रुप से निर्धारण आयातित उत्पादों की कीमतों (शुल्क समेत पहुंच पहुंच मूल्य) के संदर्भ में किया जाता है ।

प्राधिकारी याचिकाकर्त्ताओं के इस दावे को नोट करते हैं कि यद्यपि दो निर्यातकों की कीमत की पेशकश में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं तथापि तुलना के लिए जो संगत है वह निर्यातकों द्वारा पेशकश की जाने वाली ज्ञात न्यूनतम कीमत है । प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण वास्तविक आयात की तिथि के आधार पर बीजक कीमत के आधार पर नहीं किया जाता है बल्क संविदा/बिक्री की वास्तविक शर्तों को अंतिम रुप देने की तारीख को निर्यातकों द्वारा पेशकश की जाने वाली कीमतों द्वारा किया जाता है । परिणाम यह होता है कि घरेलू उद्योग किसी विनिर्दिष्ट अवधि में निर्यातकों द्वारा की गई पेशकश कीमत की वसूली करने की भी स्थिति में नहीं होता है । इस प्रकार संबद्ध माल की कम कीमतों पर पाटन के कारण कीमतों में निरंतर कटौती से घरेलू उद्योग को हानि हो रही है ।

अन्य कारक

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ताओं में कोई पूंजी जुटाने के उद्देश्य से पिछले कुछेक वर्षों में बाजार में प्रवेश नहीं किया है । प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के इस दावे को नोट करते हैं कि निवेश पर अत्यधिक कम और अलाभकारी आय पर विचार करते हुए, वे बाजार पूंजी के आधार पर आगे और विस्तार करने की भी स्थिति में नहीं है । उनकी नकदी का प्रवाह भी निवेश पर कम आय के कारण दबाव में रहेगा । प्राधिकारी याचिकाकर्त्ताओं के इस दावे को भी नोट करते हैं कि मौजूदा श्रम कानूनों को देखते हुए रोजगार और मजदूरी को घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के एक कारक नहीं माना जा सकता है ।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को निर्यातकों की कीमत प्रणाली के कारण *** के बारे में पूर्ण संविदा और *** के मामले में आंशिक संविदा का घाटा हुआ है ।

7. **क्षति के संबंध में निष्कर्ष**

(क) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में निरपेक्ष एवं सापेक्ष रुप में वृद्धि हुई है ;

(ख) याचिकाकर्त्ता कंपनियों के बाजार हिस्से में कमी आई है ;

(ग) निवेश पर आय कम, अलाभकारी और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम हुई है ;

(घ) घरेलू उद्योग को कम लाभ मार्जिन पर कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है ;

(ड.) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी गिरावट आ रही है ।

(च) संविदाओं के गवांने के प्रमाण हैं ।

अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसका खतरा बना हुआ है ।

8. **कारणात्मक संबंध**

यह प्रमाणित करने में कि संबद्ध देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी का मानना है कि पोलैण्ड और ब्राजील से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि होने के फलस्वरुप याचिकाकर्त्ता अर्थात् घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । इन आयातों से घरेलू उत्पाद की कीमतों में काफी गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा । अतः घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबंद्ध देशों से आयातों के कारण हुई । " उपलब्ध तथ्यों " के आधार पर यह देखा गया है कि अन्य देशों के संबद्ध माल के आयात जांच अवधि के दौरान न्यूनतम स्तर से कम हैं ।

जांच अवधि और जांच अवधि से पूर्ववर्ती 2 वर्षों में मांग कुल मिलाकर लगभग 6300 मी0 टन रही है । इस प्रकार संबद्ध वस्तु की मांग की कमी स्पष्ट नहीं होती है और घरेलू उद्योग में कोई प्रोद्योगिकीय विकास अथवा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के हेतु के रुप में ऐसे किसी अन्य कारण जिसके फलस्वरुप घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो को न तो देखा ही गया है और न ही बताया गया है । इसलिए, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है।

9. **भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि संबद्ध वस्तु के उपयोक्ता उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, तथापि प्राधिकारी मानते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पार्टियों में से एक पार्टी द्वारा यह उल्लेख

किया गया है कि प्रारंभिक निर्धारण में क्षति संबंधी मापदंडों के बारे में सूचना को प्रकटन नहीं किया गया है । पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और क्षति निर्धारण से संबंधित नियम 11 को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में क्षति निर्धारण के संगत ब्यौरों का उल्लेख किया है।

प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि भले ही पाटनरोधी शुल्क लगाने के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरुप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु इन पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के इस्तेमाल से पाटन द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे ; घरेलू उद्योग के ह्रास को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी । पाटनरोध् उपायों से सम्बद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल, उपयोगिता और खपत योग्य वस्तुओं के संबंध में सर्वोत्तम उपयोगिता मानदंडों को मानकीकृत और बेंच मार्किंग करके क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार करके, घरेलू उद्योग के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के उचित विक्रय मूल्य पर विश्वास किया था, जो क्षतिरहित बिक्री कीमत है।

चूंकि क्षतिरहित कीमत मानकीकृत आधार पर निकाल ली गई है इसलिए घरेलू उद्योग को अन्य घटकों जैसे कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के कारण क्षति, यदि कोई हो अमान्य ठहराई जानी है ।

10. **पहुंच मूल्य**

इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम ; 1962 के अधीन सीमा शुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमा शुल्क के लागू स्तर शामिल होंगे ।

घ. **निष्कर्ष**

पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् यह देखा गया है कि : -

(क) पालैंड और ब्राजील मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके कारण पाटन हुआ है ।

(ख) भारतीय उद्योग को वास्तिवक क्षति हुई है ।

(ग) यह क्षति संबद्ध देशें से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण हुई है ।

(घ) यह आवश्यक समझा जाता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

(ड.) पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया गया था ताकि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85.45 के तहत संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सभी संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित राशि तथा डालर/मी0 टन में संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

क्रम सं0	निर्यातक/उत्पादक	राशि(अमरीकी डालर/मी0टन)
1.	**पोलैंड** पोलैंड के सभी उत्पादक/निर्यातक मैसर्स एसजीएल कार्बन सहित	2903.71
2.	**ब्राजील** ब्राजील के सभी निर्यातक/उत्पादक मैसर्स यूसीएआर सहित	2903.71

(च) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी दिनांक 08मई, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

(छ) इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2003

Final Findings

Sub: Anti-dumping investigation concerning imports of Graphite Electrodes-UHP grade (of diameters upto and including 24") originating in or exported from Poland and Brazil – Final Findings.

No.60/1/2001-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s HEG Limited, Noida and M/s Carbon Everflow Ltd., Nashik (hereinafter referred to as petitioners) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Graphite Electrodes of Ultra High Power(UHP) grade (of diameters upto and including 24'') (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Poland and Brazil (hereinafter referred to as subject countries).

ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.

iii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against in ports of the subject goods from the subject countries. The Authority notified the Embassies of Poland and Brazil in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules

iv) The Authority issued a public notice dated 29.1.2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under Chapter 85 and Custom Head 85.45 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC/HS classification 85451101, 85451109, 85451901 and 85451909 originating in or exported from Poland and Brazil.

(v) The Authority notified preliminary finding dated 8.5.2002 and forwarded a copy of the preliminary findings to the following interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter:-

IMPORTERS/USERS

1. M/s Mukand Ltd., Thane
Thane Belapur Rod
Dighe, P.O. Kalwe
Distt. Thane-400605.

2. M/s Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamshedpur
Jamshedpur-831001

3. M/s Ispat Industries Ltd., Raigad
Geetapuram
Dolvi, Taluka-Pen

4. M/s Essar Steel Ltd., Surat
(HRC Plant)
Hazir-394 270
Dist. Surat (Gujarat)

5. M/s Sunflag Iron & Steel Co. Ltd., Bhandara
Bhandara Road
Bhandara-441905

6. M/s Lloyds Steel Inds. Ltd., Wardha
Lloyds Nagar
Bhugaon, Wardha-442001

7. M/s Indian Seamless Steels & Alloys, Pune
174, Dhole Patil Road
Pune-411 001

8. M/s Ispat Profile Ltd., Pune
Sanaswadi
Taluka-Shirur
Dist. Pune-412 208

9. M/s Steel Authority of India Ltd., Durgapur
Alloy Steel Plant
Durgapur

EXPORTERS

Poland

1. **M/s SGL Carbon, Poland**
Wegierska Str. 188, P.O. Box 152
330300 Nowy Sacz

2. **Brazil**

M/s UCAR
M/s UCAR Carbon S.A, Brazil
Rua Raul Pompeia
14402, Andar
Sao Paulo, SP CEP 05015, BRAZIL

(vi) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the subject countries in New Delhi with a request that the exporters of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;

(vii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 29.7.2002. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(viii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 8.11.2002 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

(ix) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7);

(x) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation;

(xi) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments, if any, raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in these findings;

(xii) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally

Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.

(xiii) The Authority verified the information provided by the petitioners to the extent considered necessary.

(xiv) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xv) Investigation was carried out for the period starting from Ist April, 2000 to 31st March, 2001 i.e. the period of investigation (POI).

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

A. Petitioner's Views

1. STANDING OF THE PETITIONER, PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

(i) The petitioners had filed the application for imposition of anti-dumping duties on the import of Ultra High Power(UHP) grade Graphite Electrodes used in Electric Arc Furnaces.

(ii) The graphite electrodes are used in arc furnaces as current carrying conductors and are required to carry a very high rate of power feed. Accordingly, they are required to have properties capable of taking such high current and power feeds. Electric arc furnaces are used for melting of steel by passing electric current into the charge fed into furnaces. This method of steel making is also known as secondary steel making.

(iii) The sizes of electrodes are described in terms of the diameter of electrodes. The electrodes are cylindrical shaped with the diameter as the most relevant measure of the size. Thus the sizes of electrodes covered are from 16" upto and including 30" dia (16" dia, 18", 20" dia, 22" dia, 24" dia, 28" dia and 30" dia) . These form a full range as there are no standard requirement of 17", 19", 21" etc. The sizes in metric system are to be noted as 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 700mm and 750mm(400mm upto and including 750mm).

(iv) The domestic industry during the period of investigation have not been manufacturing and supply 28"/30" dia and accordingly for the purpose of this application the relevant sizes for imported electrodes are narrowed down, i.e, from 16" upto and including 24" dia (400mm upto and including 600mm dia). UHP grade refers to graphite electrodes used in arc furnaces of UHP rating which is typically considered as more than 500 KVA per MT of capacity. This means the rate of power fed into the arc furnace per MT of capacity of the furnace will be equal to or greater than 500 KVA.

2. STANDING & DOMESTIC INDUSTRY

(i) The petitioners account for 67.20% of the production of the product under consideration in the country and, therefore, have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry. Since they also represent the major proportion of the production, they qualify as ' domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

In response to the disclosure statement, no comments have been made on product under consideration, like article and standing of the Domestic Industry.

3. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

DUMPING

(i) Extensive evidence to demonstrate that graphite electrodes are being imported from the subject countries at dumped prices has been submitted. In case of Brazil, we had given the export prices to Argentina, Columbia, Venezuela etc. as a reasonable basis of arriving at the normal value. It was suggested that even if we take the lowest of the prices to the said three countries, namely Argentina as an appropriate third country, the Normal Value works out to US$****. This price was adjusted by an amount of $**** ocean freight and $**** for the inland freight and port handling charges to arrive at an ex-factory Normal Value of US$****.

(ii) In case of Poland, the cost of production from the trade publication titled 'Carbon Data Bank' for the concerned product in Japan during 2000-2001 has been used. The cost of production in Poland had been estimated on the basis of the consumption parameters obtained from Carbon Data Bank for Japan. International prices of key inputs such as Needle Coke and Pitch had been taken into account while Electric Power cost had been taken at the prevailing rates in Europe. Fixed costs, overheads, administration and selling expenses etc. were taken from the overall balance sheet(for the year 2000) of SGL Carbon group as a whole based on the expenses under the respective heads.

(iii) The cost of production including depreciation and a profit of ****% was estimated at US$****. Consumption norms of the domestic industry for comparison purposes in the confidential version of the petition has also been provided.

(iv) The export prices were arrived at after taking the CIF prices which were adjusted for ocean freight, insurance, inland freight and port charges at the point of origin to arrive at the adjusted export prices.

(v) Since none of the exporters has cooperated with the Designated Authority, the estimates submitted by us based on extensive evidence should form the basis for arriving at the dumping margins.

In response to the disclosure statement, no comments have been made.

4. INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

(i) There is no comment on the injury analysis done by the Designated Authority and as such it is required that the Authority may confirm the preliminary findings on injury as well as causal link at the earliest. The domestic industry also submitted as a part of their petition that injury assessment may be done on a cumulative

basis as the margins of dumping from Brazil and Poland are much more than the 2% deminimis limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimis.

(ii) The case of anti dumping investigation on graphite electrodes has to be appreciated in the light of its background, market conditions and the special features of supply and procurement management.

(iii) The petitioners would also like to point out that the purchasing pattern for graphite electrodes has many distinct features. Graphite Electrodes have relatively long manufacturing cycle from raw material stage to finished stage of approximately 10 to 12 weeks. The usual pattern for the users of graphite electrodes is to place purchase orders for their requirement of 6 months to 1 years period with deferred deliveries based on their monthly consumption quantities. As a consequence, the customers expect the prices to remain firm for the order period of 6-12 months or for the ordered quantity during the period, whichever is earlier. The graphite manufacturers in India also usually adopt the above pattern and offer firm prices to its customers for a period of 6-12 months or for the ordered quantity to be delivered during the period, whichever is earlier. Few sample enquiries of some of our important users in India for the period of investigation and the previous year have already been supplied to the Authority as confidential annexures to the application, which would highlight this point. Similarly, a few offers against above enquiries showing the validity of prices and the purchase orders from the users indicating their acceptance were also attached as confidential annexures. The competitive rate expected by the customers is determined on the basis of the offers made by all the available sources including exports from other countries and their landed values at the time of contract.

(iv) It is also submitted that for the determination of the price effect in a case like this, all comparisons should be made with reference to the landed values when the material terms of sale are finalized and not by the invoice price on the date of actual physical delivery. The said position is also borne out from jurisprudence on the subject and also the following provisions of the WTO Agreement on Anti Dumping:

Footnote 8: "Normally, the date of sale would be the date of contract, purchase order, order confirmation, or invoice whichever establishes the material terms of sale".

In response to the disclosure statement, Domestic Industry had desired detailed working of Non-Injurious Price for them.

B. **Importer's views**

No specific submissions have been made by the importers in response to the disclosure statement.

C. **Exporter's views**

a) **M/s UCAR, Brazil**

1. **STANDING OF THE PETITIONER, PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

(i) According to the preliminary findings (item 5.1), "the product under consideration for the purpose of the investigation is proposed to be 'Graphite Electrodes of UHP grade for diameters up to and including 24". Furthermore, it is explained that "the graphite electrodes are used in arc furances as current carrying conductors and are required to have properties capable for taking such high current and power feeds".

(ii) The foregoing notwithstanding, the preliminary findings Report does nto address the fact that there are two sorts of arc furnaces, depending on the process stage of the steel manufacturing. One of such furnaces is the so-called "melting furnace", which is used for the melting of scrap. This furnace requires higher electric current passing through the graphite electrodes, thus the graphite electrodes shall have a higher quality. On the other hand, there are the ladle furnaces, in which melted steel is refined as the second step of the manufacturing process to define a specific steel grade. The electric current passing through the grahpite electrodes inside the ladle furnaces are of a lower level and, consequently, those products require a lower grade process technology and as of less demanding application. Note that such difference between the graphite electrodes depends on the furnace application used and the size of the graphite electrode.

In response to the disclosure statement, no submissions have been made.

2. **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING**

(i) The price of the graphite electrodes vary substantially depending of the quality and application of the same. Thus, in analysing the prices for the establishing where there were exports from UCAR BRASIL into India at dumped prices, the Designated Authority should have taken into consideration the prices of the same products, i.e. prices of graphite electrodes for melting furnaces exported into India should be compared with prices of graphite electrodes for melting furnaces exported into Argentina, whilst prices of graphite electrodes for ladle furnaces exported into India should be compared to prices of graphite electrodes for ladle furnaces exported into India.

(ii) In view of the foregoing, it should be pointed out that the definition of the product given by the preliminary findings report is in no way adequate for the establishing of the existence of export at dumped prices of graphite electrodes, for the Designated Authority, in its preliminary findings Report is comparing prices with substantial differences-since one of the types of Graphite Electrodes (for melting furnaces) has higher prices than the other type of graphite electrode(for ladle furnaces). Thus the conclusions of Section H of the preliminary findings report should be disregard and a new analysis, based on correct assumptions should be made.

In response to the disclosure statement, no submissions have been made:-

3. **INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES**

(i) It is informed in the preliminary findings report that the "domestic industry has not lost the market share from 57.01% to 56.88%" if the period immediately prior to the period under investigation is compared with the period under investigation. Thus according to the report, the loss of market share of domestic industry is less than 0.15%.

b) **SGL Carbon Group, Poland.**

1. **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING**

(i) The answer to such preliminary findings is not possible, because all essential figures are deleted. The prices of our exports from Poland to Europe, Africa, Middle East and Asia are nearly the same as our prices we invoiced to Indian customers as provided by us earlier. Therefore any anti dumping duty would have a negative effect to all users of Graphite Electrodes in India because they would have to pay more for the electrodes than their competitors outside India.

In response to the disclosure statement, no submissions have been made:-

c) **Embassy of the Federative Republic of Brazil**

1. **NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING**

(i) With reference to the preliminary notification of injury issued by the Ministry of Commerce and Industry, dated May 8th 2002, the Government of Brazil, as an interested party in the investigation, would like to assert that the non-confidential version of the afore-mentioned notification does not enable the parties to fully understand the case against them, thus hindering their right of defence.

(ii) As per Article 6.5 of WTO, it is fundamental that, in case the confidential character of the information is justified, that a sufficiently detailed non-confidential summary be provided so as to enable the understanding of the substance of the confidential information submitted.

In response to the disclosure statement, no submissions have been made:

2. **INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES**

It is the understanding of the Brazilian part that such a summary was not enclosed with the preliminary notification of injury or appropriate consideration.

In response to the disclosure statement, no submissions have been made.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

The foregoing submissions made by the petitioner, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The Authority notes that there have been no submissions regarding product under consideration. The fact that M/s UCAR, Brazil had indicated that there are difference in quality of Graphite Electrode used for melting furnaces and ladle furnaces, however, no specific difference was evidenced in terms of price or substitutability. The Authority in view of no significant submissions made on the product under consideration confirms the product under consideration as indicated in Para E (5.1) of the preliminary findings dated 8th May, 2002. The Authority reiterates the product under consideration as under:-

"The product under consideration is Graphite Electrodes of UHP grade of diameters upto and including 24". These are used in arc furnaces as current carrying conductors and are required to carry a very high rate of power feed. Accordingly, there are required to have properties capable for taking such high current and power feeds.

"Electric are furnances are used for melting of steel by passing electric current into the charge fed into the furnaces. The method of steel making is also known as secondary steel making."

Technical specifications of the subject goods are defined in terms of typical properties of Ultra High Power (UHP)/Normal Power Grade (NPG) Graphite Electrodes are indicated below:-

Specifications	Unit	NPG/High Power Grade	UHP
Bulk Density	Gm/cc	1.53-1.67	1.65-1.76
Electrical Resistivity*	Micro Ohm Mtr.	7.0-10.0	4.5-6.0
Flexural Strength	MT.cm2	65-140	90-160
Youngs Modulus	MT/mm2	700-1200	800-1400
CTE	X10-6 /0 C	0.8-2.2	0.4-1.20

- Electrical resistivity is the distinguishing characteristics while comparing the UHP with the NPG (Normal Power Grade) electrodes including HPG (High Power Grade) variation as per the above table.

The product is classified under Chapter 85.45 of the Customs Tariff Act, 1975 and the eight digit under which the product gets cleared are 85451101, 85451109, 85451901 and 85451909.

2. LIKE ARTICLE

The Authority notes that there has been no arguments about the like article produced by the Domestic Industry having characteristics closely resembling the imported subject goods and that both are commercially and technically substitutable. Even though M/s UCAR, Brazil have mentioned that the goods exported by them go for usages in ladle furnaces on account of quality considerations, there are no submissions on non-interchangeability of the goods exported by them and those produced by the Domestic Industry. The Authority therefore confirms the preliminary findings of Para F (6.1) on Like Article and holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the goods exported from the subject countries within the meaning of Rule 2(d).

3. DOMESTIC INDUSTRY

The Authority notes that there are no submissions regarding standing of the petitioner and the Domestic Industry as defined in the preliminary findings of Para G(7.1) on Domestic Industry and reiterates that M/s HEG Limited, Noida and M/s Carbon Everflow Ltd., Nashik represent the Domestic Industry as they account for more than 67% of the domestic production of the subject goods during the period of investigation. Thus, M/s HEG Limited and M/s Carbon Everflow Limited., therefore, have the standing to file the petition as per Rule 5(3) (a) and (b) and also represent the Domestic Industry as per Rule 2(b) of Anti Dumping Rules.

4. NORMAL VALUE & EXPORT PRICE

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no

comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The normal value and ex-factory export price determination is illustrated below.

A. UCAR, BRAZIL

1. Normal Value

The Authority recalls its preliminary findings dated 8th May, 2002 on Normal Value and Export Price from Para 8.5 to 8.10 . .The Authority notes that in the disclosure statement dated 8th November, 2002, the Authority had acknowledged the submissions made by M/s UCAR, Brazil and had noted that even though the domestic selling prices have been provided by M/s UCAR, Brazil, in view of no cost of production details having been provided and that it not being in structured questionnaire as sought by the Authority, the domestic selling prices indicated by the exporter cannot be held in the ordinary course of trade. The Authority notes that even these prices would also indicate dumping. The Authority has relied upon the best facts available with regard to the Normal Value.

The Authority in this regard recalls Para 8.8 and 8.9 of the preliminary findings and confirms the methodology on Normal Value determination as indicated herein. The Normal Value determination for M/s UCAR, Brazil and all other exporters/producers of Brazil is computed as under.

The petitioners have provided the export price of the subject goods to Argentina, Columbia and Venezuela etc. from Brazil based on the information from Carbon Data Bank. It is noticed that the average CIF export price from Brazil to Columbia is ***$/MT, whereas the CIF prices to Venezuela and Argentina are ***$/MT and ***$/MT respectively. Considering the lowest of the prices to the said three countries, namely, Argentina as an appropriate third country, the Normal Value works out to *** $/MT. The price has been adjusted for ocean freight, inland freight, insurance and port handling charges to an extent of ***. ***. *** and ***$/MT to arrive at an ex-factory third country price viz. Normal Value

The Authority has therefore referenced the Normal Value as ***$/MT.

As stated above, under these circumstances, Normal Value as per the rules is determined on the basis of 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the Anti Dumping Rules. Therefore, as per the information provided by the petitioner, on the basis of the export of the subject goods to an appropriate third country, namely, Argentina has been taken as the basis for working out the Normal Value of the product which works out as *** $/MT.

2. Export Price

The Authority in this regard recalls Para 8.10 of the preliminary findings and confirms the methodology as indicated in Para 8.10 of the preliminary findings. The

Export Price determination for M/s UCAR, Brazil and all other exporters/producers of Brazil is computed as under.

The weighted average CIF price per MT of exports of the subject goods effected during the period of investigation by all the exporters of Brazil works out as ***$/MT. Adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and port expenses to an extent of ***, ***, *** and ***$/MT respectively have been considered.

The Authority has therefore referenced the weighted average ex-factory export price as ***$/MT.

B. SGL CARBON, POLAND

1. Normal Value

The Authority recalls the Normal Value methodology indicated in the preliminary findings Paras 8.11 to 8.17 dated 8th May, 2002. The Authority also notes that in the disclosure statement dated 8th November, 2002, it had held that M/s SGL Carbon have provided their export price to countries other than India but have not filed any information in the structured questionnaire as was required to be done. The Authority also notes that in response to disclosure statement also, no comments have been made by M/s SGL Carbon. The Authority in view of this confirms the methodology on normal value and export price as evaluated during the preliminary findings as under.

The Authority notes that the petitioners have estimated the cost of production for the concerned product in Poland by taking the cost of production in Japan during 2000-2001 obtained from the trade publication titled 'Carbon Data Bank'. The prices of key inputs to India such as Needle Coke and Pitch have been taken from the import prices to India from Europe while the cost of Electric Power has been taken at the prevailing rates in Europe. Fixed costs, overheads, administration and selling expenses etc. have been taken from the overall balance sheet for the year 2000 of SGL Carbon group as a whole based on the expenses under the respective heads. The cost of production including depreciation and a profit of ***% comes to ***$/MT. Thus, Normal Value therefore has been estimated at *** $/MT.

As stated above, under the circumstances, Normal Value as per the Rules is determined on the basis of 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the Anti Dumping Rules. Therefore, as per the information provided by the petitioner on the basis of the estimated cost of production of the subject goods has been taken as the basis for working out the Normal Value of the product which works out as *** $/ MT in case of Poland.

Thus the Normal Value as worked out during the preliminary findings at ***$/MT is confirmed.

2. Export Price

The weighted average CIF price of the subject goods during the Period of investigation for all exporters from Poland works out to *** $/MT. Adjustments on

ocean freight, inland freight, insurance and port expenses to an extent of ***, ***, *** and ***$/MT respectively have been considered.

The Authority has therefore referenced the ex-factory export price as ***$/MT.

5. DUMPING-Comparison of Normal Value & Export Price

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The Authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average ex-factory export price in Period of Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporters/producers of the subject countries.

The dumping margin for all exporter/producers comes as under:

Exporter	Normal value(NV) $/MT	Export Price(EP) $/MT	Dumping margin as % of EP
Brazil			
All exporters/Producers including M/s UCAR	****	****	49.56
Poland			
All exporters/producers including M/s SGL Carbon	****	****	36.22

The above dumping margins are above the the de-minimis level.

6. INJURY

The relevant Rules pertaining to injury determination include the following.

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped

imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree".

Annexure II(iii) under Rule 11 supra further provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three per cent, the imports cumulatively account for more than sever per cent of the imports of the like article, and cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

Analysis of injury to the Domestic Industry has been done on the basis of the information available on record. For the examination of the impact of imports on the Domestic Industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as sales volume, changes in the market share, output productivity and capacity utilisation, sales price, profitability, return on investment (Capital employed) etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from the subject countries are more than the limits prescribed above. The cumulative assessment of the effect of imports of the subject goods is appropriate in light of the conditions of competition between the imported subject goods and the conditions of competition between the imported subject goods and the like domestic article.

The Authority recalls its observations on the various economic parameters in the case of domestic producers who had supported the petition. The economic parameters pertaining to these producers are as under :-

	1998-1999	1999-2000	2000-2001(POI)
Production (MT)	26963	29536	35063
Domestic Sales (MT)	2786	3615	3553
Capacity (MT)	34000	34000	34000
Capacity Utilisation (%)	79.3	86.87	103.13
Total imports from subject countries (MT)	1065	1173	1383.51
Total imports (MT)	3335	2500.08	2434.03
Demand (MT)	6308	6341	6249
Market share of subject countries as % of total imports (%)	31.9	46.9	56.9
Market share of subject countries in demand (%)	16.9	18.5	22.1

Market share of Domestic Industry in demand (%)	44.17	57.01	56.86
Net Sales Realisation (Rs/MT)	***	***	***
Profitability(%)	***	***	***

Noting the above parameters, the Authority observes the following:-

Sales Volume and Value

The Authority notes that the Domestic Industry has been able to improve its sales volume after the imposition of anti dumping duties on imports from Germany, France, Italy, Spain, Austria, Belgium and USA. The Authority notes that though the sales volume has gone up but the Domestic Industry has not been able to increase its profitability to a reasonable level despite all cost-cutting exercise undertaken by them over the years. It is also noted that the return on investment is low and un-remunerative.

Change in Market Share of the imports from the subject countries

The Authority notes that the market share of the imports from the subject countries as a percent of the total imports has gone up from 32% in the year 1998-99 to about 47% in 1999-2000 and to 57% in the period of investigation. Thus, the market share as a proportion to the overall imports is significantly high during this entire period on account of the dumped prices and aggressive pricing policies of the exporters from the subject countries. The high market share of the dumped imports in relation to the total imports along with the increasing absolute volumes demonstrate the injury being caused to the Domestic Industry

The Authority notes that the market share of imports from the subject countries in relation to the total demand in the country has also gone up significantly from 16.88% in 1998-1999 to 18.50% in 1999-2000 and then to 22.14% during the period of investigation indicating that the Domestic Industry has suffered directly on account of loss of market share during the last three years to the dumped imports.

Market Share of Domestic Industry

The Authority notes that while the exporters from the subject countries have increased their market share from 18.50% in 1999-2000 to 22.14% in 2000-2001, the Domestic Industry has lost the market share from 57.01% to 56.86% over the same period.

Production & Capacity Utilisation

The Authority notes that the capacity of graphite electrodes is not divisible between NPG and the UHP grades. Therefore, the capacity utilisation analysis based on only the production of UHP grade will not give any meaningful results. Therefore for an appropriate analysis, the petitioners have combined the production figures of both NPG as well as the UHP grades to arrive at the capacity utilisation figures. It is noted that the Domestic Industry has been successful in improving its capacity utilisation considerably by developing new geographical markets for exports of its electrodes. The Authority

also notes their submission that despite consistent improvements in the levels of capacity utilisation and other cost-cutting exercise, they have not been able to improve their profitability due to the continuous dumping from the subject countries.

Profitability

The Authority notes that between 1997 and the year 2000, Indian industry has taken various stpes to improve the productivity, capacity utilisation etc. and to reduce cost of manufacture besides penetrating new geographical market for diversifying exports. However, they have not been able to improve profitability.

Return on Investment

The Authority notes that the return on investment during the period of investigation has been as low as ***% which has actually come down from the previous year's figure of ***%.

Price Depression

The Authority notes that the graphite electrodes market has its peculiarities in terms of determination of prices offered to the customers. There are conditions of competition amongst the domestic producers as well as between the domestic producers and the exporters and the prices are invariably determined with reference to the prices (landed value inclusive of duty) of the imported products.

The Authority notes the petitioners' claim that while there could be some differences between two exporters price offers, what is relevant for comparison is the lowest of prices known to be offered by the exporters. The Authority also notes that the prices of the Domestic Industry get determined not by the invoice price on the date of actual import but by the prices offered by the exporters on the date on which the material terms and conditions of the contract/sale are finalized. The result is that the Domestic Industry is not in a position to recover even the prices offered by the exporters if seen over any specified period. Continued price depression due to dumped imports of subject goods at low prices has thus been causing material injury to the Domestic Industry.

Other Factors

The Authority notes that the petitioners have not approached the market in the last few years with the objective of raising any capital. The Authority notes the petitioners' claim that considering the extremely low and un-remunerative return on investment, they are not in a position to even plan any further expansion on the basis of market capital. Their cash flow will also come under pressure due to low return on investment. The Authority also notes the petitioners' claim that employment and wages cannot be considered as a factor of injury to the Domestic Industry in view of the prevailing labour laws.

The Authority notes that the Domestic Industry has lost the full contract in respect of *** and part of the contract in the case of *** on account of the pricing pattern of the exporters.

7. CONCLUSION OF INJURY

a) the quantum of imports from the subject countries has increased in absolute as well as in relative terms;
b) the market share of the petitioner companies has gone down;
c) the return on investment has been low, unremunerative and has come down as compared to the previous year;
d) the Domestic Industry has been forced to operate at low profit margins;
e) imports are significantly depressing the prices of the Domestic Industry;
f) there is evidence of lost contracts.

The Authority therefore concludes that the Domestic Industry has suffered material injury on account of the dumped imports.

8. CAUSAL LINK

In establishing that the material injury to the Domestic Industry has been caused by the imports from the subject countries, the Authority holds that the increase in market share of imports from Poland and Brazil resulted in decline in the market share of the petitioner i.e Domestic Industry. These imports have significantly depressed the prices of the domestic product forcing the Domestic Industry to sell at un-remunerative prices. The material injury to the Domestic Industry has, therefore, been caused by the dumped imports from the subject countries.

On the basis of the fact available, it is observed that the imports of subject goods from other countries are below the de-minimis level during the period of investigation.

Demand has by and large been around 6300 MT in Period of Investigation and two years preceding Period of Investigation. Thus contraction of demand of subject goods is not apparent and also no technological development in the industry or any other such factor which could have resulted in injury to the Domestic Industry has been noticed or cited as a cause of injury to the Domestic Industry. Thus the material injury to the Domestic Industry has been on account of dumping of subject goods from the subject countries.

The Authority notes that it has been indicated by one of the interested parties that the information on injury parameters has not been disputed in the preliminary determination. The Authority keeping in view the Rule 7 of the Anti Dumping Rules, and the Rule 11 on injury determination, have indicated relevant details of injury determination in the final findings.

9. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

Keeping in view the fact that though the user industry of subject goods might get affected, the Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority also recognises that though the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

To ascertain the extent of anti dumping duty necessary to remove the injury to the Domestic Industry, the Authority relied upon reasonable selling price of the subject goods in India for the Domestic Industry which is a non-injurious selling price, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation by normating and benchmarking best utilisations norms on raw material, utilities and consumables for the Domestic Industry.

Since the Non-Injurious Price (NIP) has been worked out on normative basis, the injury, if any, to the Domestic Industry on account of other factors like inefficiencies in the production of Domestic Industry is nullified.

10. **LANDED VALUE**

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing that:

(a) The subject goods originating in or exported from Poland and Brazil have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping;

(b) The Indian domestic industry has suffered material injury;

(c) Injury has been caused by imports of subject goods from the subject countries;

(d) It is considered necessary to imposed definitive anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

(e) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or lower so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is proposed that definitive anti dumping duties equal to the difference between the amount of Column 3 of the Table below and the landed value of subject goods in $/MT be imposed by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries under Chapter 85.45 of the Customs Tariff Act.

SI.No.	Exporters/Producers	Amount (US$/MT)
1.	**Poland** All producers/exporters from Poland including M/s SGL Carbon	2903.71
2.	**Brazil** All producers/exporters from Brazil including M/s UCAR	2903.71

(f) Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 8th May, 2002.

(g) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.